

असोज

पन्नावली फेश / पार्की वहील अथ / कमील पार्की /
वादी ने वाद धारा 53, 88, 188 RTI अक्ट जैसे
नोट-प्रेस में खारिज करने का निवेदन किया

नोट प्रेस
एच



जिस पर वकील काही को मुता गया। काही
वकील ने जादिए किया कि वाद आगे चलना
नही चाहते हैं। उम्त वाद जरिर 1701-1702
में खारिज किया जाता है। पत्रावली कैसल
शुमार होकर दारिबल दफ्तर होकर नम्बर
से सप्त हो।

PM

सहायक कलेक्टर, सांचीर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचीर)